प्रेस नोटः- थाना गढमुक्तेश्वर दिनांकः- 22.12.2020

फर्म मै0 अनुभव ट्रेडिंग कम्पनी गढमुक्तेश्वर से वादी के 535 बोरी धान वजन 321 कुन्टल का गबन करने वाले दो अभियुक्तगणों को मय घटना में प्रयुक्त ट्रक नं0 HR 67 B 1211 मय धान को बेचे गये से प्राप्त धनराशि 500,000/- रुपये के थाना गढमुक्तेश्वर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाहीः- दिनांक 18.12.2020 को वादी श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री कालीचरण निवासी जवाहरगंज मण्डी थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद द्वारा थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया कि दिनांक 12/12/2020 को समय लगभग 9 बजे रात्रि अपनी फर्म मै0 अनुभव ट्रेडिंग कम्पनी गढमुक्तेश्वर से 535 बोरी धान वजन 321 कुन्टल ट्रक नं0 HR 67 B 1211 द्वारा चालक इन्तखाव पुत्र खुर्शेद निवासी म0नं0 723 ईदगाद कालोनी समर गार्डन थाना लिसाडी गेट मेरठ व सहचालक/कन्डक्टर आफताब पुत्र नन्हे ग्राम बडढा थाना किठौर जनपद मेरठ के द्वारा लोड करके मै0 सतदेव सुनील कुमार कम्पनी तरनतारन (पंजाब) को भेजी थी । परन्तु उक्त धान दिनांक 18/12/20 तक उक्त फर्म तक नहीं पहुँचे है । वादी द्वारा अभियुक्त इन्तखाव व आफताब के विरुद्ध धान के गबन किये जाने के सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 551/20 धारा 406 भादवि पंजीकृत कराया गया ।

उक्त अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के तत्काल अनावरण कर अभियुक्तगण को मय माल के गिरफ्तार करने हेतु आदेशित किया गया । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ के आदेशनुसार व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हापुड़ महोदय के निर्देशन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी गढ़मुक्तेश्वर महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना गढ़मुक्तेश्वर द्वारा टीम गठित कर मामूर किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 22.12.2020 को रात्रि समय 01.20 बजे उ0नि0 श्री राजीव कुमार द्वारा मय फोर्स के मुखविर खास की सूचना पर मुकीमपुर तिराहे के पास नाले की पुलिया के पास से अभियुक्तगण इन्तखाब पुत्र खुर्शेद निवासी ग्राम बड्ढा थाना किठौर हाल निवासी नकल मीना मस्जिद ईदगाह कालोनी समर गार्डन थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ व आफताब पुत्र नन्हे निवासी ग्राम बड्ढा थाना किठौर, जनपद मेरठ को मय घटना में प्रयुक्त ट्रक नं0 HR 67 B 1211 मय धान के बेचे गये प्राप्त रुपये कुल पांच लाख रुपये के अन्तर्गत धारा 406/482 भादवि में गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

अपराध का तरीका –

अभियुक्तगण एक शातिर किस्म के अपराधी है जो ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर गल्ला मण्डी में से व्यापारियों को झांसा देकर उनका गल्ला व अनाज बिल्टी के अनुसार गैर प्रदेश को लोड कर लेते है और अपने गैंग के साथी फरीद उर्फ बाबा पुत्र महमूद निवासी बढ्ढा थाना किठौर जनपद मेरठ व वकील पुत्र हसरत निवासी बढ्ढा थाना किठौर जनपद मेरठ को कम दाम में बेचकर लाभ कमाते है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –</u>

1. इन्तखाब पुत्र खुर्शेद निवासी ग्राम बड्ढा थाना किठौर हाल निवासी नकल मीना मस्जिद ईदगाह कालोनी समर गार्डन थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।
2. आफताब पुत्र नन्हे निवासी ग्राम बड्ढा थाना किठौर, जनपद मेरठ।

<u>प्रकाश में आये फरार अभियुक्तों के नाम पता—</u>

1. फरीद उर्फ बाबा पुत्र महमूद निवासी बढ्ढा थाना किठौर जनपद मेरठ।
2. वकील पुत्र हसरत निवासी बढ्ढा थाना किठौर जनपद मेरठ।

<u>पंजीकृत अभियोग अभियुक्त गण के विरूद्ध –</u>

मु0अ0सं0 551/20 धारा 406/482 भादवि थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड।

<u>बरामदगी का विवरण—</u>

1. घटना में प्रयुक्त ट्रक नं0 HR 67 B 1211
2. पाँच लाख रुपये नगद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मुकेश कुमार थाना गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।
3. हे0का0 33 राकेश कुमार थाना गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।
4. का0 441 इमरान थाना गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।
5. का0 132 विक्रान्त थाना गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।
6. का0 865 सचिन थाना गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।